

‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ’ योजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 22 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ’ योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत युवाओं को काम सखाने के बदले 8 से 10 हजार रुपए स्ट्राइपेंड के रूप में दिये जाएंगे। काम सीखने के बाद वे खुद का स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। साथ ही उद्योगों में परमानेंट जॉब भी मिल सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ’ योजना में प्रशिक्षण कंपनियों का पंजीयन 7 जून, 2023 से शुरू किया गया था। अब तक 16 हजार 744 कंपनियों पंजीकृत हो चुकी हैं। अब तक 70 हजार 386 पद प्रकाशित हुए हैं।
- साथ ही इस योजना में युवाओं का रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई, 2023 से प्रारंभ हुआ था। इसमें अब तक 8 लाख 71 हजार 330 युवा पंजीकृत हुए और अब तक 15 हजार 92 अनुबंध नरिमति हुए हैं।
- इस योजना में 46 क्षेत्रों के 700 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण मलिया।
- मुख्यमंत्री सीखो कमाओ ‘लर्न एंड अर्न’ कार्यक्रम है, जिसमें युवाओं को जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग मलिया।
- छात्रों को कार्यक्षेत्र में रहकर अनुभव प्राप्त करने और अपना कौशल विकसित करने का अवसर मलिया।
- प्रशिक्षण के साथ ही प्रतमाह स्ट्राइपेंड भी मलिया, ताकि वे प्रशिक्षण के दौरान अपने खर्च उठा सकें -
 - 12वीं उत्तीर्ण को 8000 रुपए
 - आईटीआई उत्तीर्ण को 8500 रुपए
 - डप्लोमा उत्तीर्ण को 9000 रुपए
 - सनातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को 10000 रुपए
- इस योजना में अभ्यर्थियों को मिलने वाले लाभ
 - उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
 - नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
 - व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्ट्राइपेंड।
 - मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा स्टेट कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) का प्रमाणन।
 - नयिमति रोजगार प्राप्त करने की योग्यता अर्जति करना।
- उद्योगों को मिलने वाले लाभ -
 - इस योजना के माध्यम से उद्योगों को अपनी जरूरत के अनुसार युवाओं का कौशल संवर्धन करने का अवसर मलिया।
 - प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण प्रदाता प्रतषिठान छात्रों की परख करके तथा प्रशिक्षण के बाद इन छात्रों को अपने संस्थान में नौकरी दे सकेंगे।
 - इस प्रकार उद्योगों को कुशल और अनुभवी कर्मचारियों को प्राप्त करने में मदद मलिया।
 - उद्योगों को कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की लागत कम होगी, क्योंकि छात्रों को पहले से ही कुछ कौशल और अनुभव प्राप्त होगा।
 - एक छात्र-अभ्यर्थी पर प्रतमाह 75% स्ट्राइपेंड की बचत होगी।
 - एक छात्र-अभ्यर्थी पर प्रतमाह अधिकतम 9,000 रुपए तक की बचत होगी।
 - छात्र-अभ्यर्थी पर एपीएफ, बोनस एवं इंडस्ट्रियल डेसिप्यूट एक्ट लागू नहीं होगा।





PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/launch-of-mukhyamantri-seekho-kamao-yojana>